भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.531
06 फरवरी, 2024 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान

531. श्री सुशील कुमार रिंकू:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान वोकल फॉर लोकल के लिए कोई पहल की है, यदि हां, तो पंजाब सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार सूक्ष्म उद्यमों को पेश आ रही चुनौतियों से निपटने के लिए उनकी सहायता कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान – वोकल फॉर लोकल पहल के भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी और व्यावसायिक सहायता हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित "प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना" कार्यान्वित कर रहा है। योजना मुख्य रूप से इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण को अपनाती है। यह मूल्य श्रृंखला विकास और सहायक अवसंरचना के संरेखण के लिए रूपरेखा प्रदान करता है।

दिनांक 31 जनवरी 2024 तक , योजना के तहत पंजाब में 1,933 सहित विभिन्न राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों में स्थित लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए 72,840 ऋण स्वीकृत किए गए । राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): पीएमएफएमई योजना के कार्यान्वयन में सूक्ष्म उद्यमों के सामने आने वाली चुनौतियों पर राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों, ऋण देने वाले बैंकों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित अनुवर्ती/समीक्षा बैठकों के माध्यम से चर्चा और उनका समाधान किया जाता है । इसके अलावा, लाभार्थी को परियोजना निर्माण, निष्पादन, ऋण तक पहुंच, मशीन/उपकरण निर्माताओं से लिंकेजेज, स्वच्छता और गुणवत्ता नियंत्रण के रखरखाव आदि के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): पीएमएफएमई योजना के क्षमता निर्माण घटक में योजना के तहत लाभ लेने वाले नए और मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण व्यक्तियों को खाद्य प्रसंस्करण और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। अब तक 2190 प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जा चुके हैं। योजना के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	प्रशिक्षु का प्रकार	नंबर
1	मास्टर ट्रेनर (एमटी)	526
2	जिला स्तरीय प्रशिक्षक (डीएलटी)	1,058
3	डिस्ट्रिक रिसोर्स पर्सन (डीआरपी)	1953
4	लाभार्थी	63,099

******

अनुबंध

"खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान" के संबंध में दिनांक 06.02.2024 को लोकसभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 531 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के लिए स्वीकृत किया गया राज्यवार ऋण

क्र.सं	राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र	ऋण स्वीकृत किया गया
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	18
2	आंध्र प्रदेश	4861
3	अरुणाचल प्रदेश	37
4	असम	1109
5	बिहार	11245
6	चंडीगढ़	5
7	छत्तीसगढ	506
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	7
9	दिल्ली	191
10	गोवा	62
11	गुजरात	319
12	हरियाणा	863
13	हिमाचल प्रदेश	1284
14	जम्मू और कश्मीर	539
15	झारखंड	1311
16	कर्नाटक	3524
17	केरल	2485
18	लद्दाख	56
19	लक्षद्वीप	-
20	मध्य प्रदेश	3506
21	महाराष्ट्र	13050
22	मणिपुर	258
23	मेघालय	56
24	मिजोरम	18
25	नागालैंड	124
26	ओडिशा	1062
27	पुदुचेरी	99
28	पंजाब	1933
29	राजस्थान	485
30	सिक्किम	45
31	तमिलनाडु	10215
32	तेलंगाना	5431
33	त्रिपुरा	102
34	उत्तर प्रदेश	7449
35	उत्तराखंड	576
36	पश्चिम बंगाल	9
	कुल योग	**72840**